INDIAN CONSTITUTION

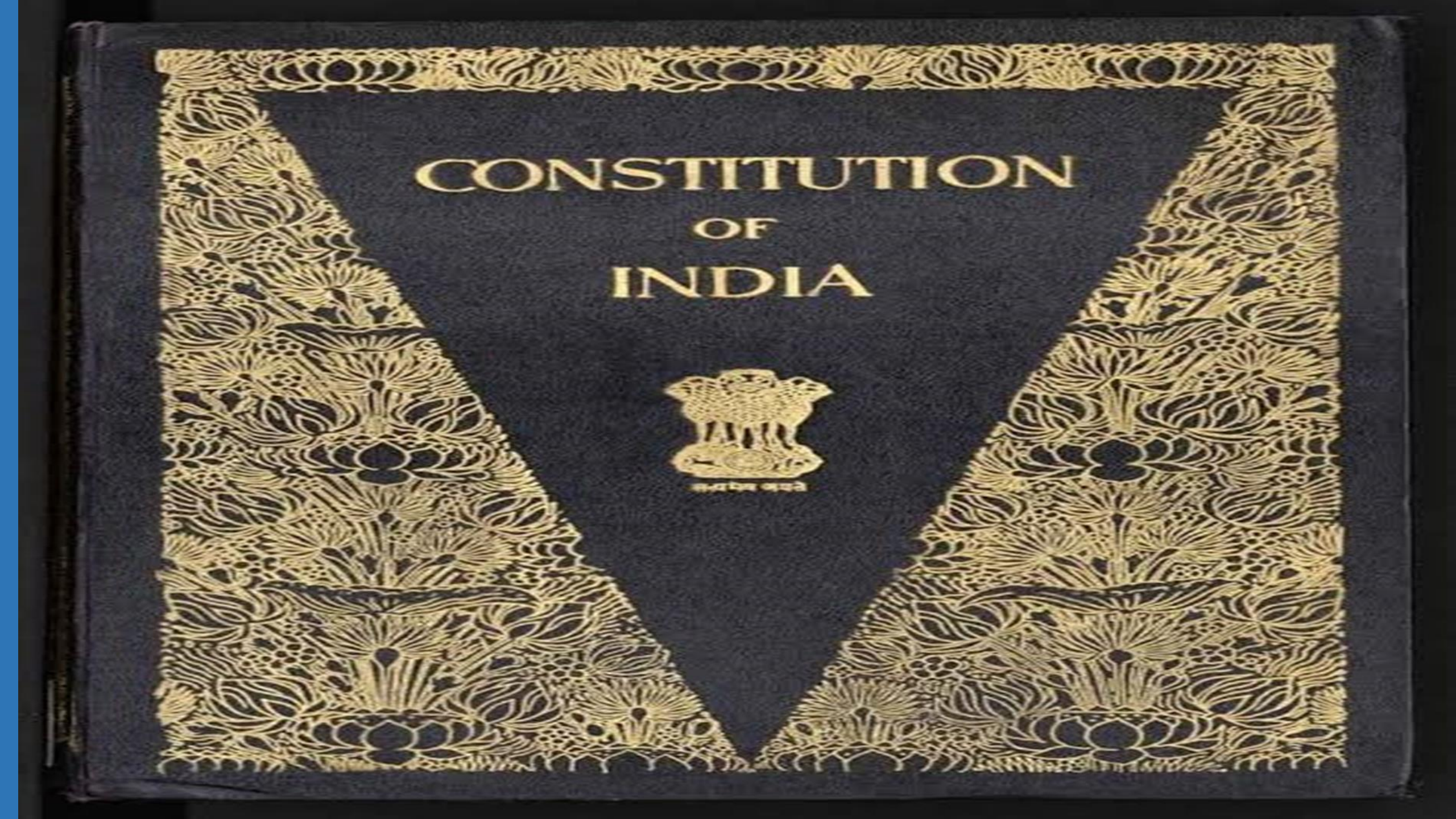
CONSTITUTION
OF
INDIA

भारतीय संविधान का विकास

- "भारत का संविधान" भारत का सर्वोच्च कानून है।
- यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, वर्तमान (2016) जिसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन संविधान ने मूल रूप से 395 लेख, 22 भाग और 8 अनुसूचियों को अपनाया।
- संविधान ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 को देश के मूलभूत शासन दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया और डोमिनियन ऑफ़ इंडिया भारत गणराज्य बन गया।
- भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह स्थिर नहीं है और इसे समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है।

Development of Indian Constitution

- The “Constitution of India” is the supreme law of India.
- It is the longest written constitution of any sovereign country in the world, presently (2016) containing 465 Articles, 25 Parts, 12 Schedules, but the constitution originally adopted 395 Articles, 22 Parts and 8 Schedules.
- The constitution replaced the Government of India Act, 1935 as the country's fundamental governing document, and the Dominion of India became the Republic of India.
- The Indian Constitution is known as a living document because it is not static and can be amended according to requirements of the society.

भारतीय संविधान का विकास

- **रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773**: बंगाल के गवर्नर को-बंगाल के गवर्नर-जनरल 'के रूप में नामित किया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई।
- कलकत्ता (1774) में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश शामिल थे।
- **पिट्स इंडिया एक्ट 1784**: कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य के बीच प्रतिष्ठित।
- भारत में कंपनी के क्षेत्र पहली बार 'भारत में ब्रिटिश आधिपत्य' कहे गए थे।

Development of Indian Constitution

- Regulating Act of 1773: Designated the Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal' and created an executive council of four members to assist him.
- Establishment of Supreme Court at Calcutta (1774) comprising one chief justice and three judges.

- Pitts India Act of 1784: Distinguished between the commercial and political function of the Company.
- Company's territories in India were for the first time called the 'British possession in India'.

भारतीय संविधान का विकास

- चार्टर एक्ट 1813: चाय और अफीम के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया।
- ईसाई धर्म प्रचारकों को अंग्रेजी का प्रचार करने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी।
- चार्टर एक्ट 1833: बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया।
- देश का प्रशासन एक नियंत्रण में एकीकृत हो गया है।
- एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की और लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष बनाया।

Development of Indian Constitution

Charter Act of 1813: The Company's commercial monopoly was ended, except for the tea and opium trade and the trade with China.

Permitted Christian missionaries to propagate English and preach their religion.

- Charter Act of 1833: The Governor-General of Bengal was re-designated as the Governor-General of India.
- The country's administration was unified under one control.
- An Indian Law Commission was established and Lord Macaulay as its chairman.

भारतीय संविधान का विकास

- चार्टर अधिनियम 1853: पहली बार, इसमें गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
- इसमें छह नए सदस्यों को विधान सदस्यों को परिषद में शामिल किया।
- इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की।
- पहली बार, इसने भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया।

Development of Indian Constitution

- Charter Act 1853: For the first time, it separated the legislative and executive functions of the Governor-General's council.
- It added six new members called legislative councilors to the council.
- It introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants.
- For the first time, it introduced local representation in the Indian (Central) Legislative Council.

भारतीय संविधान का विकास

- चार्टर एक्ट 1858: भारत में कंपनी के क्षेत्रों को महारानी में निहित किया गया था, कंपनी की इन क्षेत्रों पर शक्ति और नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया।
- महारानी के राज्य सचिव ने कंपनी के निदेशक मंडल के अधिकार और कर्तव्य प्राप्त किए। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए पंद्रह सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई थी।

Development of Indian Constitution

- Indian Councils Act, 1858: The Company's territories in India were to be vested in the Queen, the Company ceasing to exercise its power and control over these territories.
- The Queen's Principal Secretary of State received the powers and duties of the Company's Court of Directors. A council of fifteen members was appointed to assist the Secretary of State for India.

Constitution Development of India

- **भारतीय परिषद अधिनियम 1861:** भारत की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कैबिनेट के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।
- बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
- **भारतीय परिषद अधिनियम 1909:** एक विधायी कानून, जिसे मोर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है।
- मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारम्भ किया गया, जहां सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं और जिसमें केवल मुसलमानों को ही चुना जाएगा।
- सुधारों ने प्रांतीय, लेकिन केंद्रीय, विधायी निकायों में भारतीय प्रभुत्व स्थापित नहीं किया।

Development of Indian Constitution

- Indian Councils Act 1861: It transformed India's executive council to function as a cabinet run on the portfolio system.
- Initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras Presidencies.
- Indian Councils Act 1909: A 1909 legislative enactment, called the Morley-Minto reforms.
- The separate electorates where seats were reserved for Muslims and in which only Muslims would be polled.
- The reforms established Indian dominance in the provincial, but not central, legislative bodies.

भारतीय संविधान का विकास

- **भारत सरकार अधिनियम 1919:** इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब दो सदन शामिल थे- सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल।
- प्रांतों को दोहरी सरकार प्रणाली या डायार्की का पालन करना था।
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपीय के लिए सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार।
- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या आठ सदस्यों में से तीन होगी।

Development of Indian Constitution

- The Government of India Act 1919:The Imperial Legislative Council was now to consist of two houses- the Central Legislative Assembly and the Council of State.
- The provinces were to follow the Dual Government System or Dyarchy.
- An extension of Communal franchise for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indian and European.
- A central public service Commissin was set up in 1926 for recruiting civil servants.

भारतीय संविधान का विकास

- भारत सरकार अधिनियम 1935: "फेडरेशन ऑफ़ इंडिया" की स्थापना का प्रावधान, ब्रिटिश भारत और "रियासतों" के कुछ या सभी से बना होगा।
- प्रत्यक्ष चुनावों की शुरूआत, इस प्रकार मताधिकार को सात मिलियन से बढ़ाकर पैंतीस मिलियन लोगों तक पहुंचाना।
- एक संघीय न्यायालय की स्थापना।
- बर्मा भारत से पूरी तरह अलग हो गया था।

Development of Indian Constitution

- The Government of India Act 1935
- The establishment of a Federal Court.
- Burma was completely separated from India.
- This Act divided powers between the centre and the provinces.
- There were three lists which gave the subjects under each government.
  1. Federal List (Centre)
  2. Provincial List (Provinces)
  3. Concurrent List (Both)

भारतीय संविधान का विकास

- **भारत सरकार अधिनियम 1947:** भारतीय साम्राज्य से दो नए प्रभुत्व उभरने वाले थे: पाकिस्तान और भारत।
- दो नए देशों के संबंधित संविधान सभाओं पर पूर्ण विधायी अधिकार होगें ।
- 15 अगस्त 1947 से देशी रियासतों पर ब्रिटिश राजसत्ता की समाप्ति हुई और राज्यों के अधिकार को मान्यता दी गई कि वे स्वतंत्र रहें या वर्चस्व कायम करें।
- ब्रिटिश सम्राट द्वारा "भारत के सम्राट" शीर्षक के उपयोग को समाप्त करना।

Development of Indian Constitution

- The Government of India Act 1947: Two new dominions were to emerge from the Indian empire: Pakistan and India.
- Conferral of complete legislative authority upon the respective Constituent Assemblies of the two new countries.
- Termination of British suzerainty over the princely states, with effect from 15 August 1947, and recognized the right of states to remain independent or accede to either dominion.
- Abolition of the use of the title "Emperor of India" by the British monarch.

संविधान सभा

- संविधान सभा के लिए एक विचार 1934 में एम एन रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे और कट्टरपंथी लोकतंत्र के पैरोकार थे।
- यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई, सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को वयस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग उठाई, और अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत, पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे।

Constituent Assembly

- 11 December 1946: President Appointed - Rajendra Prasad, vice-Chairman Harendra Coomar Mookerjee and constitutional legal adviser B. N. Rau (initially 389 members in total, which declined to 299 after partition. out of 389 - 292 were from govt. province, 4 from chief commissioner province and 93 from princely states).
- The members of the Constituent Assembly met for the first time on 9 December 1946.
- 26 November 1949: 'Constitution of India' passed and adopted by the assembly.
- 24 January 1950: Last meeting of Constituent Assembly. 'constitution of India' all signed and accepted.

Constituent Assembly

- It took 2 Years, 11 Months, and 18 Days for the Constituent Assembly to finalize the Constitution.
- 13 December 1946: An 'Objective Resolution' was presented by Jawaharlal Nehru, laying down the underlying principles of the constitution. which later became the Preamble of the constitution.
- 22 July 1947: National flag adopted.
- 29 August 1947: Drafting Committee appointed with Dr. B. R. Ambedkar as the Chairman. other 6 members of committee was : Munshi, Muhammed Saadulah, Allad Krishna Swami Ayyar, Gopala Swami Ayyangar, Khaitan, Mitter.

संविधान सभा

- 11 दिसंबर 1946: राष्ट्रपति नियुक्त - राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष हरेन्द्र कोमार मुकर्जी और संवैधानिक कानूनी सलाहकार बीएन राऊ (शुरू में कुल 389 सदस्य, जो विभाजन के बाद घटकर 299 हो गए। 389 में से - 292 सरकार-प्रांत से थे, 4 प्रमुख से थे। आयुक्त प्रांत और 93 राजसी राज्यों से)।
- 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों की बैठक हुई।
- 26 नवंबर 1949: 'भारत का संविधान' विधानसभा द्वारा पारित और अपनाया गया।
- 24 जनवरी 1950: संविधान सभा की अंतिम बैठक। 'भारत के संविधान' पर सभी ने हस्ताक्षर किए और स्वीकार किए गए।

संविधान सभा

- संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा को 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- 13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक 'वस्तुनिष्ठ संकल्प' प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संविधान के अंतर्निहित सिद्धांतों को रखा गया था। जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बन गया।
- 22 जुलाई 1947: राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया।
- 29 अगस्त 1947: प्रारूप समिति ने डॉ बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। समिति के अन्य 6 सदस्य थे: मुंशी, मुहम्मद सादुल्लाह, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यंगार, खेतान, मित्तर।

Thank you